फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

5/95

रामू बनाम गोपाल

केस संख्या : 116/22

केस संख्या	दिनांक . आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	10/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०प्र० उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता की कुर्रीजात पर बहस पूरी गई। कोई आपत्ति नहीं की। वादी ने बहस हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर अदमपालना बहस करे। पत्रावली दिनांक 16/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी के आपत्ति एवं बहस हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर आपत्ति/बहस करे। पत्रावली दिनांक 18/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	18/7/25	पत्रावली आज दिनांक ____ को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. [illegible] कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/7/25 को पेश हो।	
	23/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। वादी की एकपक्षीय बहस पूरी गई। आपत्ति प्रा0पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रीजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 116/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक – 28.10.2022

रामू पुत्र रूपा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गांव नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
......वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र उदा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गांव नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमेर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. कॉपोरेशन बैंक शाखा जालसू जरिये शाखा प्रबंधक।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 23.07.2025

उपस्थिति :–

(1) श्री मोहन लाल जाट – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री जगदीश सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम नारदपुरा, पटवार क्षेत्र खन्नीपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 119 पुराना 108 के खसरा नम्बर 377 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 379 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 380 रकबा । 0.07 हैक्टेयर खसरा नम्बर 381 रकबा 0.43 हैक्टेयर खसरा नम्बर 382 रकबा 4.99 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.59 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर चलें आ रहें है और अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहें हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की. संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही. हैं। एतपश्चात वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित सम्पूर्ण खसरान् की भूमि को "विवादित भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा हैं। अ़ब चूँकि प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है और वे विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने, विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरणकरने उपर उतारू है। इसलिए कब्जे काश्त के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से का पर्चा लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक से कायम किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब नहीं देकर प्राथमिक डिक्री पर बहस की तथा वादी का वाद कब्जे, रास्ते को ध्यान में रखते हयु बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम नारदपुरा, पटवार क्षेत्र खन्नीपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खाता संख्या नया 119 पुराना 108 के खसरा नम्बर 377 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 379 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 380 रकबा । 0.07 हैक्टेयर खसरा नम्बर 381 रकबा 0.43 हैक्टेयर खसरा नम्बर 382 रकबा 4.99 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.59 हैक्टेयर भूमि का तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /2153 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को कुर्रेजात पर बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया।

वादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया है कि कुछ खसरा नम्बरान में जाने के लिए रास्ता नहीं है। तथा खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै0मु0 चाह है जिसका तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट में विभाजन नहीं किया जा सकता है। तथा तहसीलदारा द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है इसलिए पुनः कुर्रेजात मंगवाई जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति की तथा जाहिर किया की। वादी द्वारा आपत्ति किया है कि खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै0 मु0 चाह है जिसका बंटवारा तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा सकता है उक्त के संबंध में उल्लेखनिय है कि उक्त वाद, वादी द्वारा ही पेश किया गया है तथा वादी ने ही उक्त खसरा नम्बर में बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है तथा प्राथमिकि डिक्री पर भी वादी की कोई आपत्ति नहीं रही है इसलिए उक्त आपत्ति खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस एवं आपत्ति का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी की मुख्य आपत्ति रहीं है कि खसरा नम्बर 382/3 तक रास्ता नहीं दिया गया है जबकि नक्शे एवं कुर्रेजात के अवलोकन से स्पष्ट है यह खसरा सामलाति है उक्त के लगवा वादी को भूमि भी दी गई जिससे यह आपत्ति पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

हैक्टेयर गै0 मु0 चाह है जिसका बंटवारा तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा सकता है उक्त के संबंध में उल्लेखनिय है कि उक्त वाद, वादी द्वारा ही पेश किया गया है तथा वादी ने ही उक्त खसरा नम्बर में बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है तथा प्राथमिकि डिक्री पर भी वादी की कोई आपत्ति नहीं रही है इसलिए उक्त आपत्ति भी निराधार है।

अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. गोपाल पुत्र उदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर 380 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 381/1 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 381/3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 382/1 रकबा 1.1750 हैक्टेयर, 382/4 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, 382/6 रकबा 0.5100 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.7350 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रामू पुत्र रूपा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखाजालसू के हिस्से खसरा नंबर 377 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 381/2 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 381/5 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 382/2 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, 382/5 रकबा 1.5050 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.7550 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. गोपाल पुत्र उदा हि. 3/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, रामू पुत्र रूपा हि. 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 378 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. गोपाल पुत्र उदा हि. 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, रामू पुत्र रूपा हि. 1/2 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 379 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 381/4 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 382/3 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद प्रस्तुति दिनांक – 28.10.2022

नियमित वाद संख्या – 116/2022

रामू पुत्र रूपा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गांव नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
......वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र उदा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गांव नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमेर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. कॉपोरेशन बैंक शाखा जालसू जरिये शाखा प्रबंधक।

........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. गोपाल पुत्र उदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर के हिस्से खसरा नंबर 380 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 381/1 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 381/3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 382/1 रकबा 1.1750 हैक्टेयर, 382/4 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, 382/6 रकबा 0.5100 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.7350 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रामू पुत्र रूपा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखाजालसू के हिस्से खसरा नंबर 377 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 381/2 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 381/5 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 382/2 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, 382/5 रकबा 1.5050 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.7550 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. गोपाल पुत्र उदा हि. 3/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, रामू पुत्र रूपा हि. 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा ज[illegible] जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 378 रकबा 0.04 हैक्टेयर [illegible] रहेगी।
4. गोपाल पुत्र उदा हि. 1/2 राहिन [illegible] बैंक ऑफ इं[illegible] शाखा आमेर, रामू पुत्र रूपा हि. 1/2 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जा[illegible] जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 379 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 381/4 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 382/3 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 116/2022
बउनवानी – रामू बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.07.2025

जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बरास्ता गेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 23.07.2025 को जारी किया।

दस्तखत––––
ओहदा––––

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

कुर्रेजात प्रस्ताव

ग्राम- नारदपुरा प०म० खन्नीपुरा तह० जालसू जिला-जयपुर

[न्याय]ालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या 116/22 उनवान रामू बनाम गोपाल व अन्य में निर्णय व डिक्री दिनांक 07.6.24 की [ग्राम] नारदपुरा आराजी खसरा न. 377, 378, 379, 380, 381, 382 कुल किता-6 रकबा-5.59है. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 28.5.25 की दिनांक 12.6.25 को बहमराह नायब तहसीलदार जालसू भू.अ.नि. वृत राधाकिशनपुरा प.ह. खन्नीपुरा के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
[जम]ाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. स.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
[गोपाल] पुत्र उदा हि० 1/2 जाति कुम्हार [(प्रजापति)] सा. देह खातेदार राहिन [स्टे]ट बैंक आफ इंडिया शाखा [आमेर,] रामू पुत्र रूपा हि० 1/2 [कु]म्हार (प्रजापति) सा० देह [खातेदा]र राहिन हि० 1/2 यूनियन [बैंक आ]फ इंडिया शाखा जालसू	377	0.05	बा.3	0.08	1	गोपाल पुत्र उदा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर	38[illegible]	[illegible]	बा.3	
	378	0.04	गै.मु.	0.00			381/1	[illegible]00	बा.3	
			पाए				38[illegible]/3	[illegible]000	बा.3	
	379	0.02	गै.मु. रास्ता	0.00			382/1	[illegible]750	चा.3/जा.3	
							382/4	[illegible].6800	चा.3/जा.3	
							382/[illegible]	[illegible]100	चा.3/जा.3	
	380 आबादी	0.07	बा.3	0.14			किता-[illegible]	[illegible]350 हैक्टे.		
	381	0.43	बा.3	0.86	2.	रामू पुत्र रूपा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा जालसू	3[illegible]	[illegible]400	बा.3	
	382	4.99	चा.3 2.62	44.54			381/2	0.0900	बा.3	
			जा.3 2.37	20.15			381/5	0.0900	बा.3	
							382/2	1.0300	चा.3/जा.3	
							382/5	1.5050	चा.3/जा.3	
							किता-5	2.7550 हैक्टे.		
	किता-6	5.5900 हैक्टे.		65.77	3.	गोपाल पुत्र उदा हि० 3/4 राहिन स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा आमेर, रामू पुत्र रूपा हि० 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार।	378	0.04	गै.मु. पाए	
							किता-1	0.04 हैक्टे.		
					4.	गोपाल पुत्र उदा हि० 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आमेर, रामू पुत्र रूपा हि० 1/2 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार	379	0.02	गै.मु. रास्ता	
							381/4	0.01	बा.3	
							382/3	0.03	चा.3/जा.3	
							किता-3	0.06 हैक्टे.		

[signature] 12/06/2025 प०र०खन्नीपुरा

[signature] 12/06/2025 I R K P

[signature] NTDR

[signature] 12/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

रा.मि. गोपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

नक्ल - नक्सा
ग्राम - नारदपुरा
प॰म॰ - खन्नीपुरा
तह॰ - जालसू
जिला - जयपुर
किता - 6

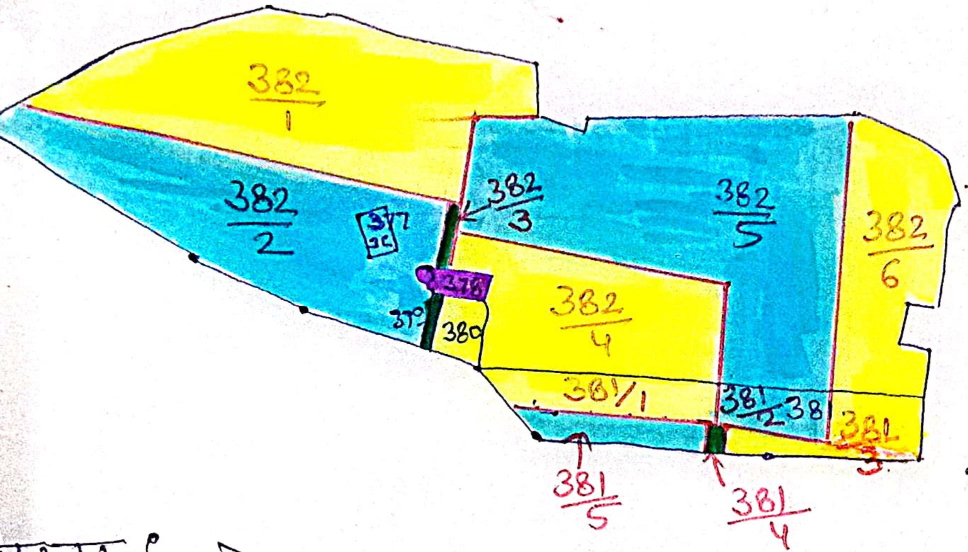

हस्ताक्षर 12/06/25 प॰ खन्नीपुरा

काश्तकार :→

- (पीला) गोपाल पुत्र उदा जाति कुम्हार
- (नीला) रामू पुत्र रूपा जाति कुम्हार
- (हरा) गोपाल पुत्र उदा हि॰ 1/2 रामू पुत्र रूपा हि॰ 1/2 जाति कुम्हार
- (बैंगनी) गोपाल पुत्र उदा हि॰ 3/4 रामू पुत्र रूपा हि॰ 1/4 जाति कुम्हार

नि॰अं॰ गोपाल

गवाह :-

(1) मुकेश पुत्र गोपाल कुम्हार — मुकेश

(2) सांवर मल पुत्र कानाराम

हस्ताक्षर 12/06/25 प॰ खन्नीपुरा

हस्ताक्षर 12/06/25 DLR RISP

NTDR

हस्ताक्षर 12/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested